उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-547/77-6-19-एल.सी.-04/18

लखनऊः दिनांक 22 जुलाई, 2019

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए "उ0प्र0 वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" के प्रस्तर-5.7 एवं 6.7 को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र.सं.	वर्तमान व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
	2	3
1	**प्रस्तर 5.7-विकास शुल्क-** पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग पर लिया जाएगा, किसी भी सुविधा का उपयोग न करने पर एक सांकेतिक (टोकन) धनराशि का भुगतान करना होगा।	**प्रस्तर-5.7 विकास शुल्क-** पार्क से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।
2	**प्रस्तर 6.7 विकास शुल्क-** विकासकर्ता को स्थल चयन ध्यानपूर्वक इस प्रकार करना होगा कि प्रस्तावित स्थल के अधिकतम 50 मीटर दूरी के अन्दर आवश्यक समस्त ट्रंक सुविधायें यथा-जलापूर्ति, जल-मल निस्तारण, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति तथा निर्धारित चौड़ाई की पक्की निर्मित सड़क पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो। ऐसी स्थिति में विकासकर्ता को योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर वाह्य विकास शुल्क की देयता में 50 प्रतिशत की पूर्ण छूट होगी। योजना के समस्त आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जायेंगे। विकासकर्ता द्वारा योजना के निवासियों के लिये जलापूर्ति, जल-मल निस्तारण, सॉलिड	**प्रस्तर 6.7 विकास शुल्क-** लॉजिस्टिक इकाईयों से विकास शुल्क केवल विकास प्राधिकरण की महायोजना (मास्टर प्लान) क्षेत्र में लागू विकास शुल्क दर का 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

	वेस्ट डिस्पोजल, विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु प्रस्तावित स्थल यदि किसी भी ट्रंक अवस्थापना सुविधा से निर्धारित सीमा 50 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उक्त छूट अनुमन्य नहीं होगी और आवेदक से पूर्ण विकास शुल्क एवं भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क उद्गृहीत होगा।	

2- अधिसूचना संख्या 649/77-6-18-एल.सी.-4/18 दिनांक 27.02.2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स नीति-2018" इस सीमा तक संशोधित पढ़ी एवं समझी जाय। अधिसूचना दिनांक 27.02.2018 की शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेंगे।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-547(1)/77-6-19-एल.सी.-04/18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र.।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. प्रबन्ध निदेशक, पिकप/यू0पी0एस0आई0डी0सी0।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु।
7. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
10. गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,
(बाबू राम)
उप सचिव।